न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) घाटमपुर , कानपुर देहात ।

UPRN 180002642021

वाद सं०– 19 सन् 2021

राम स्वरूप बनाम राकेश कुमार आदि ।

दिनांक 18–01–2021

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथपत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपिठत धारा 151 सी०पी०सी० वादी की ओर से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत कथन किया गया है कि वादी राजस्व ग्राम व पोस्ट कैथा तहसील व परगना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर का निवासी है । विपक्षीगण एक शोरेपुस्त राजनीतिक व्यक्ति हैं अन्य बिरादरी के हैं जिनका पेशा दूसरों की जमीन पर जबरन कब्जा करना है वादी राजस्व ग्राम कैथा तहसील व परगना घाटमपुर कानपुर नगर की खाता सं० 00464 गाटा सं०–441 रकबा 0.9640 हें० गाटा सं० 451 रकबा 0.1050 हे० , गाटा सं० 452 रकबा 0.0690 हे० ,गाटा सं० 453 रकबा 0.0200 हे० ,गाटा सं० 454 रकबा 0.1020 हे० व गाटा सं० 792 रकबा 1.5620 कुल गाटे 6 कुल रकबा 2.8220 का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील है । उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है गाटा सं० 453 रकबा 0.0200 हे० गांव की आबादी में स्थित है । दिनांक 16–06–2020 को विपक्षी सं० 1 व 2 अपने चार पांच अन्य साथियों के साथ उक्त गाटे पर जबरन कब्जा करने की नियत से खेत पर आये और जबरन कब्जा करने लगे। गाटा 453 रकबा 0.0200 हे० वादी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित है । जबरन कब्जा करने का विरोध किया तो उक्त लोग झगड़ा फसाद पर अमादा हो गये और कहा कि उक्त गाटा उसने आपके पिता जी से अर्सा करीब 50 पूर्व लिया था । वादी ने विपक्षीगणों से कहा उसकी सम्पूर्ण आराजी पूर्वजों से वरासतन प्राप्त हुई है उसके पिता जी ने किसी को कृषि भूमि विक्रय नहीं किया है । गांव के सम्भान्त व्यक्ति मौके पर इकट्ठा हो गये तब उक्त लोग धमकी देते हुए चले गये । प्रार्थी /वादी दिनांक 10–06–2020 को श्रीमान उपजिलाधिकारी तहसील व परगना घाटमपुर कानपुर नगर को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिस पर श्रीमान उपजिलाधिकारी चौकी इंचार्ज कुआखेड़ा को नियमानुसार निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया परन्तु चौकी इंचार्ज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 09–07–2020 को एक प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी सजेती कानपुर नगर को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की तब दिनांक 16–07–2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं दिनांक 16–12–2020 को पुनः श्रीमान उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया । उपजिलाधिकारी महोदय ने राजस्व निरीक्षक से मौके पर पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्यवाही का आदेश दिया । उप निरीक्षक श्री रवी कुमार दीक्षित ने जांच आख्या निस्तारण प्रारूप दिनांक 26–08–2020 व 30–08–2020 प्रस्तुत किया तथा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा की वादी सिविल न्यायालय मे वाद दाखिल करके अनुतोष प्राप्त करे । राजस्व ग्राम कैथा के राजस्व अभिलेखों में । गाटा 453 रकबा 0.0200 हे० पर वादी के पिता की मृत्यु के बाद वरासतनस नाम दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त गाटे पर उसका कब्जा व दखल है । विपक्षीगण शोरेपुस्त है व राजनीतिक पार्टियों में पकड़ होने के कारण उपजिलाधिकारी एवं प्रभारी थाना सजेती कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिस कारण वादी के पास माननीय न्यायालय में वाद दाखिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है ।

वादी की ओर से याचना की गयी है कि वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व अध्यासन वाले गाटा सं० 453 रकबा 0.0200 हे० राजस्व ग्राम कैथा तहसील व परगना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर प्रतिवादीगण उसके हीली मेली व्यवहारी ,नौकर चाकरसआदि अपनी शेरेपुस्ती व गुण्डई के बल पर किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूपसे सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादी की ओर से सबूत सूची 8 ग से उद्धरण खतौनी 10 ग 1, कागज सं० 11 ग 1 उपजिलाधिकारी महोदय घाटमपुर कानपुर नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 10–06–2020 , 12 ग 1 दिनांक 09–07–2020 को थाना प्रभारी सजेती को दिये गये प्रार्थना पत्र , कागज सं० 13 ग 1 लगायत 13 ग /2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 16–07–2020, कागज सं० 14 ग 1 श्रीमान उपजिलाधिकारी घाटमपुर कानपुर नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 16–12–2020 , कागज सं० 15 ग 1 व 16 ग 1 उप निरीक्षक श्री रवी कुमार दीक्षित थाना सजेती कानपुर नगर द्वारा जांच आख्या /निस्तारण प्रार्थना पत्र दिनांकित 26–08–2020 व 30–08–2020 , कागज सं० 17 ग 1 वादी के आधार कार्ड की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है ।

वादी की ओर से कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति गाटा सं० 453 रकबा 0.0200 हे० राजस्व ग्राम कैथा तहसील व परगना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर का मालिक व दखील है । प्रार्थी द्वारा दाखिल कागज सं० 10 ग 1 उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह उपरोक्त गाटा सं० 453 का संक्रमणीय भूमिधर है । परन्तु जांच आख्या निस्तारण प्रारूप कागज सं० 15 ग 1 के अवलोकन से विदित है कि उप निरीक्षक द्वारा आख्या दी गयी है कि आवदेक रामस्वरूप पुत्र शिवरतन निवासी ग्राम कैथा थाना सजेती कानपुर नगर की गाटा सं० 441,451,452,453,454,792,453 जो कि ग्राम कैंथा में स्थित है आवेदक की सम्पूर्ण जमीन के कुछ भाग पर राकेश कुमार अवस्थी आदि का कब्जा है एक पुराने स्टाम्प पर लिखा पढ़ी है । अतः न्यायहित में विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित व संरक्षित रहने के उददेश्य से उभयपक्षों को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक तक विवादित सम्पत्ति जो गाटा सं० 453 रकबा 0.0200 हे० राजस्व ग्राम कैथा तहसील व परगना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर जिसकी चौहद्दी पूरब वादी का मकान, पश्चित आर सी सी रोड, उत्तर इण्टर लाकिंग खरन्जा बादहू राजेश, शिवदास प्रजापति का मकान दक्षिण आर सी सी रोड बादहू राजा का मकान है पर यथा स्थिति बनायें रखें ।

वादी आदेश 39 नियम 3 की पैरवी अविलम्ब करे ।

वाद वास्ते आपत्ति /निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु दिनांक 08–02–2021 को पेश हो ।

दिनांक 18–01–2021

(राम गोपाल यादव)
सिविल जज (जू०डि०)
घाटमपुर,कानपुर– देहात ।
J.O.Code–UP02304

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2021.01.18 17:37:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court